निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या ए167/2014 दावा
दायरा दिनांक :— 10.11.2014
निर्णय दिनांक :— 30.09.2021

उनवान

1. हंसराज नागर पुत्र मोहनलाल जाति धाकड निवासी बामला तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. कृष्णा बाई बेवा हर्षवर्धन जाति ब्राम्हण
2. बिशाल पुत्र हर्षवर्धन जाति ब्राम्हण नाबालिग
3. आदित्य पुत्र हर्षवर्धन जाति ब्राम्हण नाबालिग
4. प्रिती पुत्री हर्षवर्धन जाति ब्राम्हण नाबालिग जर्ये वली माता कृष्णा बाई जाति ब्राम्हण बेवा हर्षवर्धन निवासी बामला तह. बारां जिला बारां।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :— 30.09.2021

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री ओमप्रकाश मेहता एडवोकेट — वादी
2 श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा एडवोकेट — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर. टी. एक्ट ग्राम बामला पटवार क्षैत्र बामला की आराजी जमाबंदी सम्वत् 2068—71 की जमाबंदी संख्या नया 531 पुराना 504 की आराजी ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. लगानी 0.72 पैसे, स्थित है जिस आगे वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बन्धित किया गया है। उक्त आराजी ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. शुरू से ही वादी के खातेदारी की आराजियात के मध्य में स्थित होने के कारण वर्तमान में वादी का तथा उससे पूर्व उसके पिता मोहनलाल का कब्जा काष्त चला आ रहा है उक्त आराजियात ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. का काफी धन व श्रम खर्च कर वादी के पिता द्वारा ही काबिज काष्त बनाया गया है उक्त आराजियात पर कभी भी प्रतिवादीगण या प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के पिता व पति का कब्जा नहीं रहा है ना उसके द्वारा कभी जमीन को जाकर संभाला है केवल राजस्व कर्मचारियों द्वारा [illegible] कर वादी के पिता मोहनलाल से यह कहकर कि गैरमुमकिन नाला किस्म है इसलिए उक्त आराजी आवंटित नही की जा सकती

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:23:20 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

किन्तु बाद में किस्म परिवर्तन कर सिवायचक नाकाबिल काश्त होते हुए भी हर्षवर्धन पुत्र महेश कुमार शर्मा जाति ब्राम्हण को सन् 1989 में आवंटित कर दी गई किन्तु सन् 1989 या उसके पूर्व या उसके पश्चात् कभी भी अपने जीवनकाल में हर्षवर्धन का कब्जा नही रहा है शुरु से ही उक्त आराजी जायज अर्सा 60–70 वर्ष से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से ही वादी के पिता का व उनके देहान्त के बाद उक्त आराजियात बाहमी बंटवारे में वादी को प्राप्त हुई उनके मध्य में उक्त विवादित आराजियात स्थित होने के कारण वादी का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है इस प्रकार 15.10.1955 से ही वादी व उसके पिता का कब्जा काश्त होने के कारण उनके हक व हकूक परिपक्व हो चुके है इस प्रकार प्रतिकुल कब्जे के आधार पर वादी ग्राम बामला ही आराजी ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. को अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराकर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं नालिषी है।

ग्राम बामला की आराजी ख.नं. 610 रकबा 0.09 के पास के ख.नं. 646,647,605,609,608,645 वादी के सहखातेदारी के है तथा बाहमी बंटवारे में उक्त सभी ख.नं. वादी को प्राप्त हुए है तथा वादी का ही उक्त आराजियात का मध्य होने से ख.नं. 610 रकबा 0. 09 है. पर बाहमी बंटवारे के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है बाहमी अंटवारा मोहनलाल द्वारा जायज अर्सा 60–70 वर्ष पहले किया गया था सबसे ही वादी का कब्जा है तथा उससे पूर्व वादी के पिता मोहनलाल का कब्जा काश्त था उक्त आराजियात पर आवंटन या आवंटन के बाद कभी भी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 उनके पिता व पति हर्षवर्धन का कब्जा नही रहा है। केवल राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से हर्षवर्धन को आवंटन करने के कारण उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो गया है जबकि उक्त आराजी वादी एवं उससे पूर्व उसके पिता के स्वामित्व में ही चली आ रही है क्योकि इसके आस–पास की सभा जमाने मोहनलाल जी के खातेदारी की थी जो बाहमा बंटवारे के अनुसार वादी को प्राप्त हुई है इसके मध्य में ही उक्त आराजी ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. स्थित होने के कारण भूपट्टी के रूप में प्रथम अधिकारी वादी का ही था किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा वादी को आवंटित न कर हर्षवर्धन को आवंटित कर दी जबकि प्रथम अधिकार वादी का था इस प्रकार आराजी ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. जायज अर्सा 60–70 वर्ष से वादी का एवं उसके पूर्व उसके पिता का कब्जा काश्त होने के कारण उक्त आराजियात को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिकुल कब्जे के आधार पर अंकन करा पा सकने का अधिकारी एवं नालिषी है।

वादी द्वारा हर्षवर्धन का देहान्त होने के कारण प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 उसके वैधानिक वारिसान एवं कायम मुकामान होने के कारण उन्हे वाद में पक्षकार बनाया जा कर वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 नाबालिगान होने के कारण उनकी मॉ प्राकृतिक संरक्षक होने के कारण उनका संरक्षक बनाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके साथ धारा 32(1) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त आराजी ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने की कहने पर तथा प्रतिवादीगण द्वारा टालमटूल करने व स्पष्ट रूप से दिनांक 16.10.2014 को इंकार करने व उसके बाद तहसीलदार बारां से कहने पर उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दिए जाने पर राज. सरकार को पक्षकार निधी के रूप में जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:23:20 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

महोदय बारां को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिनांक 21.10.2014 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा अन्य व्यक्तियों से मिल कर उक्त आराजियात ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. को खुर्दबुर्द करने व बेचान करने की धमकी दिए जाने पर दिनांक 16.10.2014 को अंतिम रूप से प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के विरुद्ध वाद कारण उत्पन्न हुआ है तथा राज. सरकार के प्रतिनिधी के रूप में नोटिस देने की दिनांक 21.10.2014 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजि. कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम बामला सम्वत् 2068–71 खाता सं. 355, नकल जमाबंदी ग्राम बामला सम्वत् 2068–71 खाता सं. 452, नकल जमाबंदी ग्राम बामला सम्वत् 2068–71 खाता सं. 451, नकल नक्षा ट्रेस, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71 खाता सं. 531, नकल नामा सं. 149 ग्राम बामला नकल नामांतरण सं. 463 ग्राम बामला पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने पीडब्ल्यू–1 हंसराज का शपथ पत्र पेश किया।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेष की गई लिखित बहस में बताया कि ग्राम बामला की आराजी ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड हर्षवर्धन पुत्र महेष कुमार ब्राम्हण के नाम दर्ज है किन्तु उक्त आराजी ख.नं. 646, 647,605,609,608,645 के मध्य में घिरी हुई है जो उक्त सभी ख.नं. वादी के सहखातेदारी की है तथा बाहमी बंटवारे में उक्त सभी ख.नं. वादी को प्राप्त हुए है जिसमें शुरू से ही ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. मिला हुआ है जिस पर वर्तमान में वादी एवं उसके पूर्व उसके पूर्वजो का सम्वत् 2012 के पूर्व से ही काबिज काष्त चले आ रहे है इस प्रकार राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.1955 के पूर्व से ही वादी एवं उसके पिता का निरंतर कब्जा काष्त होने एवं खाते की जमीनों के बीच में होने के कारण उनके हक व हकूक परिपक्व हो चुके है इसलिए वादी अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने का अधिकारी है। ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. वादी एवं उसके परिवारजनों के खाते में दर्ज आराजियात के मध्य में ाहने से भूपट्‌टी के रूप में आवंटन करने या खातेदारी अधिकार दिए जाने या नियमन किए जाने का प्रथम अधिकार वादी एवं उसके पिता का था किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से सन् 1989 में हर्षवर्धन पुत्र महेष कुमार शर्मा जाति ब्राम्हण को आवंटित कर दी गई जबकि वादी के पिता द्वारा राजस्व कमचारियों से कहने पर कहा कि गैर मुमकिन नाला किस्म है इसलिए उक्त आराजी खाते दर्ज नही की जा सकती किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा कानून को दरकिनार कर किस्म परिवर्तन कर हर्षवर्धन को आवंटित कर दी गई जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के विधि दृष्टांत के अनुसार अजीजुर्रहसान बनाम सरकार के मुकदमे में स्पष्ट रूप से निर्देषित किया गया है कि गैर मुमकिन [illegible] किसी भी प्रकार से परिवर्तित नही किया जा सकता है इस प्रकार 1989 में [illegible] से आवंटन किया गया है जबकि हर्षवर्धन का अपने जीवनकाल में कभी भी न [illegible] आराजियात पर मौके पर दखल दिया गया न कभी कब्जा काष्त रहा न कभी जमीन को [illegible] तथा उसके देहांत के बाद उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:23:20 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

वारिसान प्रतिवादीगण का न कभी कब्जा रहा न उन्होने जाकर कभी जमीन को देखा है जबकि वादी एवं उसके पिता निरंतर जायज अर्सा 60–70 वर्षो से राज. काष्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही काबिज चले आ रहे है इस प्रकार विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के अनुसार 15.10.1955 को जो काबिज था वह स्वतः ही खातेदार हो चुका था इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आराजी वादी के पिता के नाम दर्ज नही करके भारी भूल की गई है इसलिए वादी अपने हक हकूको की घोषणा कराकर ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने का अधिकारी है इस पर विभिन्न न्यायालयों के विधि दृष्टान्त स्पष्ट है। R.R.D. 1991-Page 1 अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बामला की आराजी ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बामला सम्वत् 2068–71 खाता सं. 355 में मो. वेज पुत्र गेन्दा वेज हिस्सा 1/3, हरदयाल, रामदयाल पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/6, रामगोपाल पुत्र ओंकारलाल हिस्सा 1/6, रामचरण पुत्र परसराम हिस्सा 1/3 दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम बामला सम्वत् 2068–71 में हंसराज व उसके भाई बहिनों के खातेदारी में नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम बामला सम्वत् 2068–71 खाता सं. 451 के अनुसार वादी हंसराज व उसके भाई एवं बहिनों के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इससे यह साबित होता है कि उक्त राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेज वादी एवं उनके भाई बहिनों के नाम खातेदारी में दर्ज है, नकल नामांतरण सं. 149 ग्राम बामला के अनुसार ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. भूमि सिवायचक थी जिसका आवंटन दिनांक 29.06.1989 को हर्षवर्धन पुत्र महेष कुमार शर्मा को किया गया था जिसका इंतकाल खोला जाकर तस्दीक किया गया। नकल नामा. 463 ग्राम बामला आवंटी हर्षवर्धन द्वारा 10 वर्षो में शेष 3 वर्षो का ढाई गुना लगान जमा करने के बाद नामा. खोला जाकर तस्दीक किया गया। फोटो प्रति निर्णय दिनांक 17.12.1996 श्रीमान् जिला कलक्टर बारां उनवान हरिमोहन बनाम हर्षवर्धन के विरूद्व 14(4) लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार अपील अपीलांट खारिज की तथा आवंटन यथावत रखा गया। इससे यह साबित होता है कि ख.नं. 610 रकबा 0.09 है. भूमि का आवंटन हर्षवर्धन को किया गया जिसका नामा. दर्ज किया गया। वर्तमान में भूमि आवंटी के खातेदारी में दर्ज है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां द्वारा आवंटी का आवंटन बहाल रखा गया वादी द्वारा विवादित भूमि वादी की भूमि के बीच में होने से अपने खातेदारी में दर्ज करवाना चाहता है। वादी ने कब्जे बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए जिसमें वादी का कब्जा साबित हो सके। वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:23:20 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 167/2014	धारा अन्तर्गत 88,89,188 आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक : 30.09.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री ओमप्रकाश मेहता–II	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा	

वाद शीर्षक

उनवान

हंसराज नागर पुत्र मोहनलाल जाति धाकड निवासी बामला तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. कृष्णा बाई बेवा हर्षवर्धन जाति ब्राम्हण
2. बिशाल पुत्र हर्षवर्धन जाति ब्राम्हण नाबालिग
3. आदित्य पुत्र हर्षवर्धन जाति ब्राम्हण नाबालिग
4. प्रिती पुत्री हर्षवर्धन जाति ब्राम्हण नाबालिग जर्ये वली माता कृष्णा बाई जाति ब्राम्हण बेवा हर्षवर्धन निवासी बामला तह. बारां जिला बारां।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है,

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 30.09.2021 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:23:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner